न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 160 / 2024 अपील (GCMS 2024/208)
पंजीयन दिनांक– 14 / 08 / 2024
निर्णय दिनांक– 17 / 02 / 2025

1. श्री अपूर्व श्रृंगी पिता स्व. अश्विनी कुमार श्रृंगी, निवासी 123, कृष्णा निवास, इन्द्रा मार्केट, ब्रजराजपुरा, कोटा। तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री राकेश श्रृंगी पिता स्व. गोविंदलाल श्रृंगी, निवासी मकान नम्बर ई–4, मिलाट नगर, बोरखेडा, कोटा।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री कमलेश चौहान — अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक — अधिवक्ता रेस्पोडेंट 1
3. श्री कल्पित जैन — अधिवक्ता रेस्पोडेंट 2

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध तहसीलदार, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ के
प्रकरण संख्या 08 / 2021 अपील निर्णय दिनांक 30.07.2024

निर्णय

दिनांक 17 / 02 / 2025

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 08 / 2021 निर्णय दिनांक

30.07.2024 के विरूद्ध दिनांक 14.08.2024 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रावतभाटा के यहां अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र मय पंजीकृत वसीयत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम झरझनी के आराजी नम्बर 672, 673, 717 से 721 कुल किता 7 रकबा 3.77 हैक्टेयर श्रीमती कृष्णा कुमारी पत्नि स्व. गोविंदलाल श्रृंगी के नाम खातेदारी से दर्ज होकर उक्त आराजीयात की श्रीमती कृष्णा कुमारी द्वारा मुझ प्रार्थी के नाम रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित की गई है। उक्त वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज किया जावे, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 08/2021 निर्णय दिनांक 30.07.2024 से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई है।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30.07.2024 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:–*"दिनांक 21.09.2016 लिखित वसीयतनामा बाबत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर पटवारी हल्का झरझनी को निर्देशित किया जाता है कि उत्तराधिकार की प्रचलित विधि से तहसीलदार (भू. अ.) लाडपुरा, जिला कोटा द्वारा पेश सजरा अनुसार नामांतरकरण दर्ज करें।"*

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता

श्री कल्पित जैन उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 12.02.2025 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलांट की दादी श्रीमती कृष्णा कुमारी द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी समस्त चल व अचल संपत्ति के संदर्भ में अंतिम वसीयत नामा दिनांक 21.09.2016 को निष्पादित कर उसे उप पंजीयक, कोटा के समक्ष पंजीबद्ध कराय गया था, जिस वसीयत नामे में श्रीमती कृष्णा कुमारी द्वारा मौजा झरझनी में स्वयं के खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 672, 673, 717 से 721 कुल किता 7 कुल रकबा 3.77 हैक्टेयर भूमि को अपने दो पुत्रों रमेश चन्द व अश्विनी श्रृंगी को दिया गया है, जिसके अनुसार उक्त आराजीयात भूमि को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रजिस्टर्ड वसीयत नामे को नही मानकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। उक्त अधीनस्थ न्यायालय का आदेश गलत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 2 भी कृष्णा कुमारी का पुत्र होकर उसके द्वारा कृष्णा कुमारी के साथ आये दिन मारपीट व गाली गलौच करने से कृष्णा कुमारी द्वारा अपनी संपत्ति में से कुछ भी नही दिया गया था। रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सादे कागज पर निष्पादित दिनांक 23.03.2017 का एक दस्तावेज निरस्तीकरण बाबत् वसीयत नामा प्रस्तुत किया गया और इसके आधार पर यह साबित कराने की कोशिश की गई की इस दस्तावेज के जरिये रजिस्टर्ड वसीयत नामा दिनांक 21.09.2016 को कृष्णा कुमारी द्वारा निरस्त कर दिया गया है उक्त दस्तावेज दिनांक 22.03.2017 को देखा जाये जो यह दस्तावेज प्रथम दृष्टया ही कूटरचित व फर्जी होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने कृष्णा कुमारी द्वारा अपने जीवनकाल में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत नामा दिनांक

12.09.2016 पर सादे कागज पर निष्पादित दस्तावेज दिनांक 23.03.2017 को वरियता देकर इसे कृष्णा कुमारी का अंतिम वसीयत नामा माना गया है, जो अधीनस्थ न्यायालय का विवेचन पूर्ण रूप से गलत व विधि विरूद्ध है। अतः उक्तानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट 1 राजकीय अभिभाष श्री मुरलीधर पालीवान ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 30.07.2024 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील गुणावगुण पर निर्णय किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट 2 ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में वर्णित वसीयत को किसी भी न्यायालय में चुनौति नही दी गई एवं वसीयती उत्तराधिकार अधिनियम के नियम 70 विशेषाधिकार रहित बिल या क्रोडपत्र का प्रतिसंहरण का हवाला देकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 30.07.2024 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर बताते हुए उक्त अपील अपीलांट खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

- प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र मय रजिस्टर्ड वसीयत नामा प्रस्तुत कर श्रीमती कृष्णा कुमारी द्वारा वर्णित आराजीयत की वसीयत अपीलांट के पक्ष में निष्पादित की गई है, के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने बाबत निवेदन किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 08/2021 निर्णय दिनांक 30.07.2024 से अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये

जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गई है।

- पत्रावली में उपलब्ध पंजीकृत वसीयत दिनांक 21.09.2016 की छाया प्रति का अवलोकन किया है। उक्त वसीयत श्रीमती कृष्णा कुमारी द्वारा श्री राकेश कुमार, जो कि विधिक वारिसान है, को अपनी विरासत से वंचित करते हुये वादग्रस्त भूमि अपीलांट को वसीयत किया जाना अंकित किया है। विभिन्न प्रकरणों में उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा बार बार यह प्रतिपादित किया गया है कि जब किसी वसीयत से प्राकृतिक वारिसान को विरासत से वंचित किया जाता है तो ऐसी वसीयत प्रथम दृष्टया संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई मानी जाती है जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1925 की धारा 63 अनुसार सदभावी व संदेह से परे (genuine and free from suspicion) सिद्ध करने का दायित्व वसीयत के लाभार्थी का है। 1994 RRD 732 में प्रतिपादित किया गया है कि कानूनी उत्तराधिकारियों के विरूद्ध ऐसी वसीयत को आधार नहीं बनाया जा सकता, जो कि अभी सिद्ध होनी है। इसी प्रकार 1975 PLJ 201 में यह प्रतिपादित किया गया है कि वसीयत द्वारा प्राकृतिक वारिसान को वंचित करना वसीयत को सदेंह के घेरे में रखता है और ऐसी वसीयत को संदेह से परे साबित करने का भार वसीयत के लाभार्थी पर है। ऐसी वसीयत को धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अनुसार संदेह से परे साबित करना आवश्यक है।

- इस न्यायालय का मत है कि वसीयत का पंजीकृत होना मात्र उसकी सद्भाविकता व सन्देह से परे (genuineness and free from suspicion) होने का प्रमाण नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 अनुसार भी वसीयत को पंजीकृत होने के बावजूद स्वतः प्रमाणित नहीं माना गया है। न्यायिक दृष्टान्त AIR 1962 SC 567 में भी यही प्रतिपादित किया गया है कि पंजीकृत होना मात्र

वसीयत की सद्भाविकता के विभिन्न आधारों में से एक हो सकता है किन्तु एकमात्र का आधार नहीं हो सकता है।

"If a Will has been registered, that is a circumstance which may, having regard to the circumstances, prove its genuineness. But the mere fact that a Will is registered will not by itself be sufficient to dispel all suspicion regarding it where suspicion exists, without submitting the evidence of registration to a close examination."

न्यायिक दृष्टान्त 2009 (1) CC Cases 804 (SC) में यह प्रतिपादित किया गया है कि वसीयत का पंजीकृत होना "..... itself does not mean that the statutory requirements of proving the Will need not be complied with."

- उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर इस न्यायालय का निष्कर्ष है कि पंजीयन होना वसीयत दस्तावेज के अस्तित्व को साबित कर सकता है, उसकी सद्भाविकता को नहीं। जब तक उक्त वसीयत की सद्भाविकता को धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधान अनुसार साबित नहीं कर दिया जाता है, तब तक उससे वसीयत के लाभार्थी को प्राकृतिक वारिसान के विरुद्ध कोई हक नहीं मिल सकता है और नामांतरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में यह सम्भव नहीं है। इसके लिये वसीयत के लाभार्थी को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करके अधिकार घोषणा करानी होगी।

- प्रावधित है कि नामान्तरकरण कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती है। नामांतरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में उत्तराधिकार का जटिल प्रश्न, वसीयत या गोद के जटिल विवाद्यक का विनिश्चय किया जाना संभव नहीं है। स्वामित्व व स्वत्व की घोषणा घोषणात्मक वाद में ही की जा सकती है। अतः स्वामित्व स्थापित करने के लिये अपीलांट को सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा करना चाहिये।

- जहां तक वसीयत की वैधता एवं उसके प्रमाणन का प्रश्न है, उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि वसीयत का विवाद सिविल

न्यायालय द्वारा निर्णित होगा (2005 आरआरडी 401) और वसीयत की प्रमाणिकता की जांच सिविल न्यायालय द्वारा की जा सकती है (2019 आरआरडी–78, 79)। अतः वसीयत की वैधता एवं उसके प्रमाणन के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी किया जाना क्षेत्राधिकार से बाहर है।

- उक्तानुसार जहां वारिस के मध्य विवाद हो, वहां नियमित वाद में वसीयत साबित करना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय समक्ष श्रीमती कृष्णा कुमारी के विधिक वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा कथित वसीयत पर अपना ऐतराज प्रस्तुत किया था, अतः इस प्रकरण में वारिस के मध्य विवाद था, जो नियमित वाद में ही साबित किया जा सकता है। अपीलांट को अपने अधिकार तय कराने बाबत् सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिये। इस प्रकार अपीलांट की अपील में कोई ठोस एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जिसके कारण अपील स्वीकार की जा सके।

- इसके अतिरिक्त अपीलांट्स का प्रकरण में मूल कथन/मुख्य उज्र यह है कि रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सादे कागज पर निष्पादित दिनांक 23.03.2017 का एक दस्तावेज निरस्तीकरण बाबत् वसीयत नामा प्रस्तुत किया गया, जिसे श्रीमती कृष्णा कुमारी का अंतिम वसीयत नामा माना गया है।

  अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेसपोडेंट संख्या 2 द्वारा वसीयत निरस्तीकरण हेतु दिनांक 22.03.2017 को लिखित नौटेरीशुदा दस्तावेज पेश किये, जिसकी गवाही शीलारानी पिता गोविंदलाल एवं कुसुम श्रृंगी पत्नि निरंजन श्रृंगी (श्रीमती कृष्णा कुमारी की पुत्रियां) द्वारा तस्दीक की गई। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम वसीयत मानी गई है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार की प्रचलित विधि से तहसीलदार (भू. अ.) लाडपुरा,

जिला कोटा से प्राप्त श्रीमती कृष्णा कुमारी के पारिवारिक सजरा अनुसार नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश पारित किया गया होकर उक्त निर्णय उचित एवं नियमानुसार प्रतीत होता है, अतएव अपीलांट का उक्त उज्र समायत योग्य नही है।

- उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ तहसीलदार, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण उपरांत एवं पर्याप्त कारण अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाता है।

- अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रावतभाटा का निर्णय दिनांक 30.07.2024 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार, रावतभाटा को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर